Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding safeguarding the reservation rights of Scheduled Castes - Laid

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान दलितों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनको लेकर आज देश का दलित समाज अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है। यद्यपि अनुसूचित जाति एवं जनजाति फोरम के एक प्रतिनिधि मंडल ने गत दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत की है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के 68 वर्ष के इतिहास में पहली बार संविधान रचयिता डॉ० अम्बेडकर के राष्ट्र के प्रति योगदान के बारे में 26 और 27 नवम्बर को व्यापक चर्चा करवाई जो उनके संविधान निर्माताओं एवं विशेषकर दलितों के बारे में विजन को प्रस्तुत करता है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों से संबंधित लंबित पड़े सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। आज जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर का दायरा बढ़ रहा है उससे दलितों के रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन संकुचित होते जा रहे हैं। यहां तक कि क्लास फोर सर्विसेज में तो 1/3 नौकरियां आउट सोर्सिंग एवं कान्ट्रेक्ट के माध्यम से भरी जाने लगी है।

आरक्षण से संबंधित 85वें संविधान संशोधन को हर रोज कोर्ट में चुनौतियां दी जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप दलित कर्मचारियों के प्रमोशन की बजाय डिमोशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। मान्यवर, इस सब पर रोक लगाने की जरूरत है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि दलितों के आरक्षण को बचाने के लिए एक संविधान संशोधन बिल संसद से पास कराया जाये। एक अभियान चलाकर बैकलॉग को पूरा किया जाए। मैं मांग करता हूं कि दलितों के आरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों को एक कानून पास करके संविधान की नौंवी सूची में डाला जाए ताकि दलित समाज की समस्याओं का हल हो सके। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी यह संकल्प लिया गया है कि भारत के कर्णधार राजनैतिक आजादी के साथ आर्थिक आजादी भी देश के वंचित समाज को प्रदान कराएंगे।